न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 01/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सत्यनारायण पुत्र कालूराम उर्फ कालिया		1. भाकरराम पुत्र देवाराम
2. धर्माराम पुत्र केवलराम		2. रामनिवास पुत्र देवाराम
3. प्रकाश पुत्र केवलराम		3. श्रीमती समुडी पत्नी देवाराम जातियान बावरी निवासीगण कापरड़ा तहसील बिलाड़ा
4. गेनाराम पुत्र छोटुराम जातियान बावरी निवासीगण कापरड़ा तहसील बिलाड़ा प्रार्थी संख्या–4 गेनाराम नाबालिग वली कुदरती काका सत्यनारायण पुत्र कालूराम जाति बावरी निवासी कापरड़ा तहसील बिलाड़ा		4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– प्रार्थीगण की ओर से श्री बेनाराम पटेल एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या–4 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक 6/2/2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा के मूल निवासी है। अप्रार्थी संख्या–1 से 3 ग्राम कापरड़ा के मूल निवासी है। ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा आयी हुयी है। जो इस प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी। वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा प्रार्थीगण के पिता/पति को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा आवंटन हुआ था। आवंटन होने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता/पति कालूराम अपने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जितेजी काबिज रहे। तत्पश्चात कालूराम के वारिशान वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। विवादग्रस्त भूमि के पास प्रतिवादीगण की खरीदशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/7 रकबा 8 बीघा तथा खसरा नम्बर 476/8 रकबा 8 बीघा आयी हुयी है। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं विवादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर 476/5 व खसरा नम्बर 476/7 व खसरा नम्बर 476/8 पूर्व में वक्त बंदोबस्त बहुत बड़ा खसरा था यानि उसके मूल खसरा नम्बर 476 रकबा 101 बीघा 8 बिस्वा गैर मुमकीन खारच जो मिसल बंदोबस्त में दर्ज थी। तत्पश्चात राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमिहीन काश्तकारों को प्रार्थीगण के पिता/पति कालूराम को आवंटन की गयी। तब से लगातार आज दिन तक मौके पर प्रार्थीगण काबिज है। जब से आवंटन हुयी तब से उसी स्थान से कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर तारामीरा की फसल बोई रखी है। अप्रार्थीगण नाजायज रूप से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/7 की तरमीम प्रार्थी की कब्जाशुद भूमि पर करवा दी है। जो कब्जे के अनुसरण में बिल्कुल की मैल नही खाता है। इस कारण प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/5 के चारो ओर तारबन्दी पट्टीयां इत्यादि की हुयी थी। जिसको अप्रार्थीगण ने तोड़ दी जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज की गयी। प्रार्थीगण की कब्जाशुद जमीन पर अप्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारीयों से मिलकर तरमीम करवा दी हैं जो कब्जे के आधार पर तरमीम नही की गयी है। जिसे निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी के कब्जे अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 476/5 की तरमीम की जावे। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा की प्रार्थीगण की कब्जे अनुसार तरमीम फरमायी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से जवाव पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या–4 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या–2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 476/5

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रकबा 1.2944 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी है। पद संख्या–3 प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। पद संख्या–3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 101 बीघा 8 बिस्वा गै.मु. खारच में से समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को आवंटन की गई तथा आवंटन आदेश की पालना में म्यूटेशन स्वीकृत किये जाकर उन व्यक्तियों को राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज कर दिया तथा आवंटित भूमि के बट्टा नम्बर लगाकर जमाबंदी में इन्द्राज कर दिये। खसरा नम्बर 476 में से 8 बीघा भूमि केवलराम पुत्र धोकलराम जाति बावरी निवासी कापरड़ा हालमुकाम उदलियावास तहसील बिलाड़ा को आवंटन की गयी थी। जिसका आवंटन के आधार पर म्यूटेशन संख्या–250 स्वीकृत कर जमाबंदी में खसरा नम्बर 476/8 रकबा 8 बीघा केवलराम की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। केवलराम का भूमि पर कब्जा व काश्त होने के कारण उसके नाम से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या–878 के जरिये खातेदारी में दर्ज की गयी। यह खसरा नम्बर 476/8 रकबा 8 बीघा भूमि खसरा नम्बर 476/11 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा की ओर आयी हुयी है। तत्पश्चात खातेदार केवलराम पुत्र धोकलराम ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/8 रकबा 8 बीघा को दिनांक 21.09.1992 को अप्रार्थी संख्या–1 से 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या–3 के पति देवाराम को बेचान कर दिया, जो बैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 21.09.1992 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अप्रार्थी संख्या–1 से 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या–3 के पति देवाराम के नाम से दर्ज की गयी है, तत्पश्चात देवाराम के देहान्त के बाद उसकी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण उसके दो पुत्र अप्रार्थी सखंया–1 व 2 तथा उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी है। जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 476/8 रकबा 8 बीघा को मार्क ABCD के रूप में दर्शाया गया है, जवाब के साथ संलगन नजरी नक्शा को जवाब का अंग समझा जावें। इसी प्रकार खसरा नम्बर 476 में से 8 बीघा भूमि बचनाराम पुत्र धोकलराम जाति बावरी निवासी कापरड़ा हालमुकाम उदलियावास तहसील बिलाड़ा को आवंटन की गयी थी। जिसका आवंटन के आधार पर म्यूटेशन संख्या–301 स्वीकृत कर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जमाबंदी में खसरा नम्बर 476/7 रकबा 8 बीघा बचनाराम की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। बचनाराम का भूमि पर कब्जा व काश्त होने के कारण उसके नाम से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 884 के जरिये खातेदारी में दर्ज की गयी। यह खसरा नम्बर 476/7 रकबा 8 बीघा भूमि खसरा नम्बर 476/8 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा की ओर आयी हुयी है। तत्पश्चात खातेदार बचनाराम पुत्र धोकलराम ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/7 रकबा 8 बीघा को दिनांक 21.09.1992 को अप्रार्थी संख्या–1 से 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या–3 के पति देवाराम को बेचान कर दिया, जो बैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 21.09.1992 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अप्रार्थी संख्या–1 से 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या–3 के पति देवाराम के नाम से दर्ज की गयी है, तत्पश्चात देवाराम के देहान्त के बाद उसकी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण उसके दो पुत्र अप्रार्थी सख्या–1 व 2 तथा उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी है। जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 476/7 रकबा 8 बीघा को मार्क EFGH के रूप में दर्शाया गया है, जवाब के साथ संलगन नजरी नक्शा को जवाब का अंग समझा जावें। पद संख्या–5 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 476 में से 8 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या–1 के पिता कालूराम उर्फ कालिया को आवंटन की गयी, जब भूमि आवंटन की गयी तब उसके बट्टा नम्बर दर्ज नही किये गये है। खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा को जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलगन नजरी नक्शा में मार्क IJKL स्थान पर आवंटन की गयी, जिस पर उसका कब्जा व काश्त है, लेकिन प्रार्थी ने अपनी आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 476/5 के अलावा 9 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जो अवैध कब्जा वाली भूमि खसरा नम्बर 476/5 के पूर्व दिशा की ओर खाली पड़ी भूमि खसरा नम्बर 476 गै.मु.खारच पर कर लिया गया, जिसे जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क MNOP के रूप में दर्शाया गया है। प्रार्थी को अपने आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा के अलावा अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 476 गै.मु. खारच पर किया गया अवैध अतिक्रमण की मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 29.01.2022 से स्पष्ट रूप से भी साबित हैं। संलग्न जवाब नजरी नक्शा में वर्णित मार्क MNOP की अवैध कब्जा की भूमि को अपनी खातेदारी की मान कर अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/7 की तरमीम को निरस्त कराने का अधिकार प्रार्थीगण को नही है, इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। पद संख्या–6 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा का कोई नजरी नक्शा को पेश नही किया है तथा न ही प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 476/5 के पड़ौस बताये है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा कौनसी है तथा किस स्थान पर है, तथा अवैध कब्जा वाली भूमि कौनसी है। प्रार्थी स्वयं अतिक्रमी है, जो कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 29.01.2022 से साबित इस प्रकार होता है कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 476/5 के पूर्वी दिशा की ओर स्थित खसरा नम्बर 476 गै. मु. खारच पर 9 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है एवं अपनी अवैध कब्जा की भूमि को खातेदारी का होना मान कर उसकी आड में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 476/7 की खातेदारी की भूमि की जगह अपनी बताकर यह गलत तथ्यों के आधार पर तरमीम निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो केवल इसी आधार पर खारीज किये जाने योग्य है। पद संख्या–7 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा किस जगह पर स्थित है, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नही बताया है। अतः प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के पड़ौस बताने में असफल रहा है। प्रार्थी अपनी आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा के अलावा 9 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बैठा है। प्रार्थी अतिक्रमी है। इसके अलावा खसरा नम्बर 476/7 रकबा 8 बीघा अप्रार्थीगण की खरीदशुदा खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/7 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 476 गै.मु. खारच (संलग्न

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जवाब नजरी नक्शा में वर्णित मार्क MNOP की भूमि) की 40 से अधिक बीघा खाली भूमि स्थित है। जो कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 29.01.2022 से साबित होती है। इसके अलावा भी प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा के पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर 476 गै.मु.खारच की भूमि स्थित है, इस कारण प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा किस जगह पर स्थित है। अतः प्रार्थीगण का कौनसे स्थान पर उसकी खातेदारी भूमि का कब्जा है, स्पष्ट नही होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारीज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या–4 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया कि ग्राम कापरड़ा के खसरा नम्बर 476 रकबा 5.7035 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारच वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवाय चक भूमि दर्ज है। ग्राम कापरड़ा के खसरा नम्बर 476/5 रकबा 1.2944 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। तथा खसरा नम्बर 476/7 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476/8 रकबा 1.2944 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या–1 से 3 की खातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 476/5, 476/7, 476/8 की वर्तमान नक्शा लटठा ट्रेस में तरमीम की हुयी नही है जबकि ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरों की तरमीम की हुयी है। जो नकल नक्शा साथ में संलग्न है। वर्तमान में मौके पर कब्जे की स्थिति का नजरी नक्शा साथ मे पेश है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा फॉर्म नम्बर 3 के साथ नामान्तरकरण संख्या–250, 301, 692 की नकल को पेश किया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दस्तावेजात से विदित होता है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा का कोई नजरी नक्शा पेश नही किया है तथा न ही प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 476/5 के पड़ौस बताये है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट नही किया हैं कि उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 476/5 रकबा 8 बीघा कौनसी है तथा किस स्थान पर हैं। प्रार्थी स्वयं अतिक्रमी है जो कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 29.01.2022 से इस प्रकार साबित होता है कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 476/5 के पूर्वी दिशा की ओर स्थित खसरा नम्बर 476 गै.मु. खारच पर 9 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है एवं अपनी अवैध कब्जा की भूमि को खातेदारी का होना मानकर उसकी आड में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 476/7 की खातेदारी की भूमि की जगह अपनी कब्जाशुद भूमि होना बताकर तरमीम निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं। इसके अलावा नामान्तरकरण संख्या–250, 301 से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 476/7, 476/8 नामान्तरकरण की पुश्त के पिछे तरमीम की हूयी है तथा नामान्तरकरण संख्या–692 जो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 476/5 तरमीमशुदा नही है। मात्र प्रार्थी अवैध कब्जे के आधार पर अप्रार्थीगण की तरमीमशुदा भूमि खसरा नम्बर 476/7 की तरमीम खारीज कराने के अधिकारीगण नही है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा